किस्म मुकदमा......धारा 111,128 RLR Act अनवान– पारसराम बनाम तहसीलदार समदड़ी मु.नं. 203/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.06.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकील श्री यशपालसिंह द्वारा वकालातनामा मय सहमति स्वरूप जवाब पेश किया जो शामिल मिसल हो। विप्रार्थी संख्या 1 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी वकील की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। विप्रार्थी संख्या 2 के वकील ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने बाबत् सहमति जाहिर की। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मजल तहसील समदड़ी के खसरा संख्या 1471/1134 रकबा 0.9712 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम् स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदड़ी को 2000/– रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। आवश्यकता होने पर तहसीलदार समदड़ी को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.06.22 12:47:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

क्र. वाद / 2025 / 1517 दिनांक : 20.06.2025

प्रार्थी		विप्रार्थीगण
पारसराम पुत्र वंशाराम	बनाम	राज्य सरकार जरिये तहसील समदड़ी वगैरह

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी</u>

राजस्व आवेदन सं:–203 / 2024 दिनांक:–20.06.2025

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम मजल तहसील समदड़ी के खसरा संख्या 1471 / 1134 रकबा 0.9712 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदड़ी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क रूपये 2000 / –प्रार्थी अदा करेगा।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
(सिवाना) (बालोतरा)

क्रमांक: वाद / 2025 / 1418–1421 दिनांक : 20.06.2025

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आव"यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. तहसीलदार समदड़ी
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना समदड़ी
3. हल्का पटवारी मजल को तहसीलदार समदड़ी द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी श्री पारसराम पुत्र वंशाराम जाति भील निवासी मजल तहसील समदड़ी जिला बालोतरा को सूचनार्थ

उपखण्ड अधिकारी
(सिवाना) (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.06.22 12:47:16 IST
Reason: SelfAttested